कार्यालय जिला विकास अधिकारी , चमोली।

संख्या 808 /एक–2/ स्थाना0–मिनि0/स्थाना0एक्ट–2018/2018–19 दिनाँक 08 जून , 2018

" आदेश "

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 तथा शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनाँक 25 मई, 2018 के अधीन विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर मिनिस्ट्रियल संवर्ग के निम्नाँकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित विकास खण्ड से स्तम्भ–5 में अंकित विकास खण्ड/कार्यालय में विभागीय पुर्नगठन 2017 के अनुसार स्वीकृत/रिक्त पद के सापेक्ष तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद नाम	वर्तमान तैनाती का विकास खण्ड/ कार्यालय	स्थानान्तरित विकास खण्ड / कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विक्रम कुमार	कनिष्ठ सहायक	वि0ख0गैरसैण (सुगम)	विकास खण्ड जोशीमठ (दुर्गम)	जनहित में
2	श्री पुष्कर सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	प्रसार प्रशि0 केन्द्र गोपेश्वर (सुगम)	विकास खण्ड घाट (दुर्गम)	जनहित में

2– अधिनियम की धारा–22 (1) के अधीन स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसलिए स्थानान्तरण पर मिलने वाले कार्यभार ग्रहण अवधि का उपयोग नवीन तैनाती के कार्यालय/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा और वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होने के उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे। धारा–22 (2) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– अधिनियम की धारा–24(1)(2) एवं (3) के अधीन किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से किसी प्रकार का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने , किसी प्रकार का दबाव डलवाने अथवा आदेश का निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन न किये जाने की स्थिति में इसे अधिनियम की सुसंगत उपबन्धों का उलंघन मानते हुए सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्देशानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को यथासमय कार्यमुक्त करते हुए अनुपालन से अवगत करना सुनिश्चित् करें।

ह0/–
(प्रकाश रावत)
जिला विकास अधिकारी,
चमोली।

आदेश संख्या एवं दिनाँक उक्तॉकित।

1. उक्त वर्णित कार्मिक द्वारा कार्यालयाध्यक्ष।
2. खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैण/जोशीमठ एवं घाट।
3. आचार्य , प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गोपेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, चमोली/उप कोषाधिकारी, गैरसैण, जोशीमठ एवं घाट।
5. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, चमोली को जनपद चमोली की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

(प्रकाश रावत)
जिला विकास अधिकारी
चमोली।